जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 05.04.2025**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मृतका के शव के अवशेष (हड्डियां) बरामद की गयी।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.03.2025 को वादिया श्रीमती आसमा पत्नी तस्लीम निवासी ग्राम सब्दलपुर रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादिया ने अपनी पुत्री आशिफा की शादी 05 वर्ष पूर्व कस्बा बास्टा के रहने वाले कामिल के साथ की थी। करीब 01 वर्ष पूर्व से वादी की बेटी उससे नही मिली है। वादिया की बेटी को अभियुक्तगण कामिल पुत्र बाबू निवासी ग्राम बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर आदि कुल 09 नामजद अभियुक्तगणो द्वारा कही गुम कर दिया है। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 163/25 धारा 87/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्तगण 1.आदिल व 2.कामिल पुत्रगण बाबू निवासी ग्राम बास्टा थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर को पुलिस हिरासत में लेकर मृतका आशिफा के शव के अवशेष (हड्डियां) बरामद की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियोग को धारा 302/201/34 भादवि में परिवर्तित किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त कामिल व आदिल से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि आशिफा द्वारा पहले कामिल के साथ शादी की थी तथा बाद में कामिल से तलाक लेकर कामिल के बडे भाई आदिल के साथ शादी कर ली था। शादी के कुछ दिन बाद आदिल, आफिशा पर शक करने लगा की वह किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है। इस कारण आदिल ने अपने छोटे भाई कामिल व चाची चांदनी के साथ मिलकर 20 से 25 नवम्बर 2023 के बीच आशिफा की गला घोंटकर हत्या कर दी तथा शव को नाईवाला से हल्लुपुरा जाने वाले रास्ते पर कूडे के ढेर के पास गढ्ढा खोदकर दबा दिया। अभियुक्तों की निशादेही पर मृतका के परिजनों की मौजूदगी में जमीन से करीब तीन-चार फीट नीचे से मृतका आशिफा के शव के अवशेष (हड्डियां) बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1.आदिल पुत्र बाबू निवासी ग्राम बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.कामिल पुत्र बाबू निवासी ग्राम बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मृतका आशिफा के शव के अवशेष (हड्डियां)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.थानाध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह मेहरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 संदीप पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 48 आदेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

4.कां0 2044 अभिषेक कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

5.कां0 2123 अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

6.कां0 2291 विनय कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

7.कां0 2487 शैलेन्द्र कान्त थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

8.कां0 2453 विकास खोखर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

9.कां0 386 सोहित थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

10.म0कां0 228 पुष्पा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

11.म0कां0 2418 प्रिंयका थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनांक 05.04.2025**

थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 70/2025 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.03.2025 को वादिया ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि वादिया की पुत्री को अभियुक्त पटवारी पुत्र जय सिहं निवासी फाजलपुर मच्छमार थाना रेहड जनपद बिजनौर बहला फुसलाकर ले गया । इस संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 70/2025 धारा137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपहर्ता को बरामद किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पटवारी पुत्र जय सिहं निवासी फाजलपुर मच्छमार थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पटवारी पुत्र जय सिहं निवासी फाजलपुर मच्छमार थाना रेहड जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. का0 1276 राहुल कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3. का0 251 अशोक कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 05.04.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा डकैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 15000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:–

दिनांक 03.09.2009 को वादी श्री मुकेश रस्तोगी पुत्र मंगल सैन रस्तोगी निवासी निकट रेलवे रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि 05-06 अज्ञात बदमाश वादी के घर में घुसकर 20-25 तोला सोना, 22,000 रुपये नगदी व लाइसेन्सी रिवॉल्वर लूटकर ले गये। इस सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 2230/2009 धारा 395/397/412 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 07 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 05.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश – 03 / एनडीपीएस एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 2230/2009 धारा 395/397/412 भादवि के आरोपी अभियुक्तगण 1.मौ0 मारुफ पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम सांजक थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर 2.दिलशाद पुत्र नूर इलाही निवासी ग्राम मोहिद्दीनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पता –

1.मौ0 मारुफ पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम सांजक थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर

2.दिलशाद पुत्र नूर इलाही निवासी ग्राम मोहिद्दीनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 05.04.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 304(2)/34/419/420 भादवि व धारा 15(2) इंडियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट के आरोपी 03 अभियुक्तों को 05 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को 20,500/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 27.08.2023 को वादी श्री यशवीर पुत्र होराम सिंह निवासी लदुपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 25.08.2023 को उसने अपनी गर्भवती पत्नी श्रीमती ओमवती को प्रसुति हेतु अनमोल हेल्थ केयर में भर्ती कराया, उसकी पत्नी का ऑपरेशन 1-डॉ0 पिंकी चन्द्रावल, 2-डॉ0 संजय कुमार व 3- डॉ0 हरीश कुमार द्वारा किया गया। ऑपरेशन में चिकित्सकों द्वारा लापरवाही बरती गयी, जिसके कारण उसकी पत्नी की अत्यधिक तबियत अत्यधिक खराब हो जाने पर मृत्यु हो गयी। इस सम्बंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 612/23 धारा 304/419/420 भादवि व धारा 15(2) इण्डियन मेडिकल एक्ट पंजीकृत किया गया है। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 05.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 612/2023 द्वारा धारा 304(2)/34/419/420 भादवि व धारा 15(2) इंडियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट के आरोपी अभियुक्तगण 1.डॉ0 पिंकी चन्द्रावल पुत्री चरन सिंह निवासी मोर मकदूमपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर 2.डॉ0 संजय कुमार पुत्र मेघराज सिंह निवासी स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3.डॉ0 हरीश कुमार पुत्र नन्हे सिंह निवासी मौ0 पतियापाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को 20,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पता –

1.डॉ0 पिंकी चन्द्रावल पुत्री चरन सिंह निवासी मोर मकदूमपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

2.डॉ0 संजय कुमार पुत्र मेघराज सिंह निवासी स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.डॉ0 हरीश कुमार पुत्र नन्हे सिंह निवासी मौ0 पतियापाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर